छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

क्रमांक /वि.स./स्था./2025 रायपुर, दिनांक / /2025

//कार्यालय-आदेश//

आदेशानुसार, प्राय: यह देखा जा रहा है कि सचिवालय के कतिपय अधिकारी/कर्मचारीगण नियमित रूप से निर्धारित कार्यालयीन समय का पालन नहीं करते हुए बिना किसी सूचना/अनुमति के विलम्ब से कार्यालय में उपस्थित हो रहे हैं तथा कार्यालय समय समाप्ति के पूर्व कार्यालय से प्रस्थान कर रहे हैं, जो अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है।

सचिवालयीन कार्यों के सुचारू एवं प्रभावी संचालन हेतु समय की पाबन्दी एवं अनुशासन अत्यन्त आवश्यक है। अत: समस्त सचिवालयीन अधिकारी/कर्मचारीगण अनिवार्यत: निर्धारित कार्यालयीन समय का पालन सुनिश्चित करें, अन्यथा स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

आदेश से,

हस्ता/-

संचालक

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पृ. क्रमांक 10955/वि.स./स्था./2025 रायपुर, दिनांक 29/07/2025

प्रतिलिपिः-

01. मान. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा के सचिव को मान. अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
02. सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय के स्टॉफ ऑफिसर को सचिव महोदय के सूचनार्थ।
03. संचालक (सुरक्षा) की ओर प्रेषित कर लेख है कि सचिवालयीन अधिकारियों/कर्मचारियों के कार्यालय आने-जाने के समय संबंधी प्रतिवेदन पाक्षिक रूप से सचिव कक्ष को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
04. समस्त अधिकारी/कर्मचारी, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ व पालनार्थ।
05. सर्वर कक्ष।

28/7/25

प्रशासकीय अधिकारी

छत्तीसगढ़ विधान सभा